Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन

(A Critical Study of the Elements of Human Rights at the Primary Level of the Present Education System),

डॉ. आलोक कुमार मिश्र, शोध निर्देशक,(शिक्षक-शिक्षा विभाग), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज उ. प्र.
विजया रानी वर्मा, शोध-छात्रा,(शिक्षक-शिक्षा विभाग), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज उ. प्र.

Info
Volume 5, Issue 3

Page Number : 54-62

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

सारांशः – प्रस्तुत शोध अध्ययन 'वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन' है । शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है और जनसंख्या के रुप में लखनऊ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 4 व 5 के छात्रों को जनसंख्या के रूप में माना गया है । न्यादर्श के रूप में लॉटरी विधि से 12 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया इसमें से कुल 120 छात्र एवं छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । सांख्यिकी विधि के रूप में मानक विचलन, मध्यमान, एवं टी-अनुपात का प्रयोग किया गया है । उपकरण के रूप में शोधार्थिनी द्वारा स्वयं निर्मित मानवाधिकार जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया । निष्कर्ष में प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है ।

मुख्य शब्दावली : – प्राथमिक स्तर, मानवाधिकार, तत्व, शिक्षा प्रणाली, तुलनात्मक अध्ययन आदि ।

प्रस्तावना :

मानवाधिकार विश्व की वह आधारशिला है जिसे हमारे वैदिक ऋषियों एवं मुनियों द्वारा हमें वरदान स्वरुप प्रदान किया गया है । मानवाधिकार हमारे संपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता एवं समानता और उसके सम्मान व प्रतिष्ठा से संबंधित होता है । यह अधिकार संवैधानिक एवं प्राकृतिक दोनों ही रूपों में हमें प्राप्त है । मानव संवैधानिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है । मानव अधिकार सबके लिए एक समान है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध व्यक्ति, इन अधिकारों का हनन किसी प्रकार के भेदभाव अर्थात् जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता है । बाल्यवस्था वह अवस्था होती है जहां बच्चा अत्यधिक जिज्ञासु एवं अनुकरण के आधार पर सीखता है उसका अस्तित्व कोरे कागज के समान होता है जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर प्रत्येक प्रक्रिया या घटना का प्रभाव गहराई से पड़ता है । प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा एवं अच्छे संस्कारों का विशेष

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

ध्यान दिया जाता है क्योंकि इस अवस्था में प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक स्थाई होते हैं। विद्यालय का स्वच्छ एवं आकर्षक वातावरण उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है इस स्तर की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होती है प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रो. जे.एस. राजपूत का विचार है कि अध्यापक मानवाधिकार का संदेश विद्यालय में ले जाने का सर्वोच्च वाहक होता है उसके मुख से निकले शब्द भविष्य की ओर इंगित करता है। अतः उपयुक्त शिक्षण विधि पाठ्यचर्या एवं अध्यापक मानवाधिकार शिक्षा हेतु एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। राणा, सिंह दीवान (2019) ने B.Ed प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। उन्होंने शोध प्रविधि के रूप में वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया तथा न्यादर्श के रूप में 100 बीएड प्रशिक्षणार्थियों (50 पुरुष 50 महिला) का चयन सोद्देश्य विधि के द्वारा किया, निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि बीएड महिला प्रशिक्षणार्थियों एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। शर्मा, मनीषा (2018) ने अपने शोध 'शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन' में यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता हैं चाहे वे निजी विद्यालयों में कार्यरत हो या किसी सरकारी विद्यालयों में। सिंह, कुमारी रजनी (2018) ने 'भारत में मानवाधिकारों की परिकल्पना एवं वास्तविक प्रासंगिकता का अध्ययन' किया, अपने लेख में उन्होंने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि मानवाधिकार भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध है। मानवाधिकार का प्रकार भेदभाव का अंत है। आर्य, संगीता (2020) ने उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास पर माड्यूल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया, इन्होंने शोध विधि के रूप में प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया तथा न्यादर्श के रूप में जयपुर शहर के सरकारी व निजी विद्यालय के 120 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया। शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली, बुद्धि लब्धि परीक्षण (डॉ. पी.श्रीनिवासन 2000), सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी (सुनील कुमार उपाध्याय और अलका सक्सेना) का प्रयोग किया। निष्कर्ष के रूप में परंपरागत विधि तथा माड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार विकास में पर्याप्त अंतर पाया गया।

शोध की आवश्यकता :

शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शोध मानवाधिकार के प्रति जागरूकता एवं नागरिकों अधिकारों तथा मानवीय मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में मानवाधिकार की उपयोगिता को महसूस किया बल्कि वह मानवीय गरिमा के उत्थान में भी अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करता है। अतः शोधार्थिनी द्वारा यह महसूस किया गया कि मानवाधिकार जैसे बिषय पर शोध की अति आवश्यकता है।

समस्या कथन :

प्रस्तुत शोध समस्या "वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन" है।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य है।

● ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

● शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

● ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

शोध परिकल्पना :

प्रस्तुत शोध परिकल्पना निम्नलिखित हैं ।

● ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

● शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

● ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

सीमांकन :

शोधार्थिनी ने समय एवं धन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध को लखनऊ जनपद के शैक्षिक संस्थानों तक ही सीमित रखा है शोधार्थिनी ने लखनऊ जनपद के प्राथमिक स्तर कक्षा 4 व 5 में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का चयन किया है ।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी ने वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है ।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी ने जनसंख्या के रुप में लखनऊ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 व 5 में अध्ययन करने वाले कुल 120 छात्र एवं छात्राओं को जनसंख्या एवं न्यादर्श के रूप में चयनित किया है ।

उपकरण :

प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए शोधार्थिनी ने स्वनिर्मित 'मानवाधिकार जागरूकता मापनी' का प्रयोग किया है।

सांख्यिकी विधि :

शोधार्थिनी द्वारा परिकल्पनों के आधार पर प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए t-test, मध्यमान, मानक विचलन तथा द्विमार्गीय प्रसरण विश्लेषण, सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया हैं ।

प्रदत्तों का विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम :

उद्देश्य सं. .01, ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H.01, ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है ।

प्राप्तांकों की टी-परीक्षण के माध्यम से तुलना की गई एवं इसी के आधार पर समंको का विश्लेषण किया गया और परिणामों को सारणी संख्या .01 के माध्यम से दर्शाया गया है ।

सारणी संख्या .01

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का मान ।

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
1	छात्र	30	125.1	16.30	0.124	0.05 df=58
2	छात्राओं	30	130.12	31.24		

0.05 स्तर पर सार्थक ।

सारणी संख्या .01 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि टी-अनुपात का मान 0.124 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है । स्वतंत्र कोटियां 58 के साथ टी का मान 0.124 है । इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है, अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना .01 'ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

परिणाम : तालिका संख्या .01 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर की छात्राओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है अतः सारणी संख्या .01 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर की छात्राओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सामान पाई

जाती है। जिसका प्रमुख संभावित कारण ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे अधिकांशतः संयुक्त परिवार में निवास करते हैं जहां पर उनके नैतिक मूल्यों, संस्कारों एवं अच्छे आचरण के विकास पर बल दिया जाता है। दोनों ही समूह पारिवारिक एवं विद्यालयी वातावरण में समान रूप से अपना विकास करते हैं जिसके कारण उनकी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है। इस परिणाम की पुष्टि गिर व शर्मा (2006) के शोध अध्ययन कक्षा 9-12 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की इस वर्ष के सभी विद्यार्थियों में सामान्य स्तर की सामाजिक परिपक्वता पाई जाती है।

उद्देश्य सं.02, शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H,02, शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान, प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

प्राप्तांकों की टी-परीक्षण के माध्यम से तुलना की गई है एवं इसी के आधार पर समंको का विश्लेषण किया गया और परिणामों को सारणी संख्या .02 के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी संख्या .02

शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का मान।

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
1 2	छात्र छात्राओं	30 30	126.7 131.5	16.65 32.01	0.728	0.05 df=58

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टी का मान 0.728 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। स्वतंत्र कोटियां 58 के साथ टी का मान 0.728 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना .02

'शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

परिणाम : तालिका संख्या .02 से यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में पर्याप्त सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है । अतः सारणी संख्या .02 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई गई है, जिसका संभावित कारण यह है कि सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जिसके कारण शहरी क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हैं । बालक एवं बालिका दोनों की शिक्षा की समानांतर व्यवस्था प्रदान करते हैं । प्राप्त परिणाम की पुष्टि त्रिपाठी, विवेक नाथ एवं मिश्र, दुर्गेश कुमार (2016) ने भी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है, से किया जा सकता है ।

उद्देश्य सं.03, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

H.03, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

प्रस्तुत शोध का तृतीय उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है ।

प्राप्तांकों का टी-परीक्षण के माध्यम से तुलना की गई है एवं इसी के आधार पर समंको का विश्लेषण किया गया और परिणामों को सारणी संख्या .03 के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी संख्या .03

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का मान ।

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
12	छात्र छात्राओं	60 60	118.91 122.35	14.40 29.39	0.94	0.05 df=118

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .03 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टी का मान 0.94 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। स्वतंत्र कोटियां 118 के साथ टी का मान 0.94 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है, अतः शून्य परिकल्पना .03 'ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : सारणी सं. 03 से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में पर्याप्त सार्थक अंतर प्राप्त नहीं है, अतः सारणी संख्या .03 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई गई है, जिसका संभावित कारण यह है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के दोनों समूहों का पाठ्यक्रम, आयु, मानसिक स्तर लगभग एक समान है। प्राप्त परिणामों की पुष्टि शर्मा, सीमा (2017) के अध्ययन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं किया गया है, से होता है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित परीक्षण का मान 0.89 है। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में संबंधित टी-परीक्षण का मान 0.728 है। प्राप्त प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित टी-परीक्षण का मान्य .94 है। प्राप्त प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शैक्षिक निहितार्थ :

वर्तमान समय में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व अमानवीय कृत्यों से आहत हैं। आज भी कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिसमें समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है जैसे अशिक्षा, भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण, स्वार्थी स्वभाव, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शोषित वंचित एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याएं, गरीबी उन्मूलन आदि के निवारण में प्रस्तुत शोध अध्ययन अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके साथ-साथ शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रीयों आदि के लिए भी यह शोध प्रमुख रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव :

- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल लखनऊ जनपद पर किया गया है भावी शोधार्थी किसी अन्य जनपद, राज्य, मंडल पर कर सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक स्तर पर किया गया है भावी शोधार्थी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों पर शोध कार्य कर सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल हिंदी माध्यम के छात्रों एवं छात्राओं पर किया गया है भावी शोधार्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं पर शोध कार्य कर सकते हैं प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल हिंदी माध्यम के छात्र-छात्राओं पर किया गया है भावी शोधार्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं पर शोध कार्य कर सकते हैं।
- शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रातः काल की प्रार्थना सभा से मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों से अवगत कराना चाहिए।
- छात्रों के बीच राष्ट्रवादी नीतियों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनमें मानवता का विकास हो।
- शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को राष्ट्रहित से अवगत कराएं जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।
- छात्रों को संवेदनशीलता, सेवा भाव एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे वे अपने व्यवसाय, राष्ट्र के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हो सकेंगें ।
- भावी शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण काल से ही मानवाधिकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे वे भविष्य में पाठ पुस्तकों से संबंधित मानवाधिकार को विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंचा सकें।

संदर्भ :

[1]. भटनागर, सुरेश एवं सक्सेना (2005), शिक्षा मनोविज्ञान, लायल बुक डिपो, मेरठ।
[2]. गैरेट, हेनरी (1999), शिक्षा एवं मनोविज्ञान सांख्यिकीय, कल्याणी पब्लिशर्स।
[3]. कपिल, एच.के. (1998), अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
[4]. शर्मा, आर. ए. (2008), शिक्षा अनुसंधान, लाल बुक डिपो, मेरठ .
[5]. शर्मा, राजेश कुमार (2018), शिक्षा मानवाधिकार और गांधी,
[6]. कुमार, पवन (2017), भारत में मानवाधिकार आजादी के बाद की यात्रा, ।
[7]. राणा, सिंह दीवान (2017), B.Ed प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, ।
[8]. आर्य, संगीता (2020), उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास का मॉडल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन, जयपुर विश्वविद्यालय।
[9]. अग्रवाल, एच.पी. (2014), इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद (20वां संस्करण)।

[10]. तिवारी, सी.(2002), माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापिकाओं की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वॉल्यूम 21, इश्यू 1,लखनऊ।

[11]. नसीमा, सी. (2014), ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, कनिष्क पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

[12]. शशिकला, वी. और एम. फ्रांसिस्को (2016), ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग फ्रीसेल प्रोप्पेक्टिव टीचर्स, इंटरनेशनल जर्नल आफ टीचर एजुकेशन, रिसर्च वैल्यूम 5, इश्यू 3-8,।

★★★★★